	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 3, सोमवार, *शाके* 1943–मई 24, 2021 *Jyaistha 3, Monday, Saka 1943- May 24, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 24, 2021

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है एवं जिनमें समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त विनियमों के विद्यमान विनियम 2 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"2. कोई भी दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने समुचित रूप से फेस मास्क या फेस कवर (जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहना हुआ है, किसी भी वस्तु का विक्रय नहीं करेगा एवं दुकान पर गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) सुनिश्चित करेगा।"

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]
राज्यपाल के आदेश से,
सीमा कुमार,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।